क्रम-संख्या–616

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 18 सितम्बर, 1978

भाद्रपद 27, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 2517/सत्रह-वि0-1—69-1978

लखनऊ, 18 सितम्बर, 1978

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 16 सितम्बर, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1978]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा ।

(2) यह 17 जून, 1978 को प्रवर्तन में आया समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में—

(एक) खण्ड (ग) में, शब्द "अचल संपत्ति के बन्धक पर" के स्थान पर शब्द "अचल संपत्ति के बन्धक या उस पर प्रभार पर या राज्य सरकार की बिना शर्त प्रत्याभूति पर" रख जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे; और

(दो) खण्ड (ड़) में, शब्द "उसकी सदस्यता में सम्मिलित अन्य भूमि विकास बैंकों के यदि कोई हो, कार्य" के स्थान पर शब्द "उसके सदस्यों के कार्य" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में, शब्द "परिष्कृत" के पश्चात् शब्द "या प्रतिस्थापित" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(1) राज्य सरकार और न्यासधारी की पूर्व स्वीकृति से, और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, मण्डल, समय-समय पर, मूलधन का पूरा प्रतिदान करने और उसके ब्याज का भुगतान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गयी बिना शर्त प्रत्याभूति पर अंशतः धृत और अंशतः अर्जित किये जाने वाले बन्धक, प्रभार या गिरवी की और एसी संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों की, जो धारा 12 के उपबन्धों के अधीन भूमि विकास बैंकों द्वारा राज्य भूमि विकास बैंक को संक्रमित की गयी हों या संक्रमित की गयी समझी गयी हों, और राज्य भूमि विकास बैंक की अन्य संपत्तियों की, प्रतिभूति पर एक या अधिक अभिधानों के ऋण-पत्र ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जिसे वह इष्टकर समझे, जारी कर सकता है।";

(दो) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (1) के अधीन मण्डल द्वारा पहले से जारी किये गये ऋण-पत्रों पर देय कुल धनराशि और जारी किये जाने के लिये प्रस्तावित किन्हीं ऋण-पत्रों की धनराशि कुल मिलाकर निम्नलिखित धनराशि के योग से अधिक न होगी :—

(क) बन्धक या प्रभार या गिरवी पर देय धनराशियां और ऐसी अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य, जो धारा 12 के अधीन भूमि विकास बैंकों द्वारा राज्य भूमि विकास बैंक को संक्रमित की गई हों या संक्रमित की गयी समझी गयी हों और जो तत्समय वर्तमान हो;

(ख) ऋण-पत्र मोचन-निधि में संचयन;

(ग) हस्तस्थ रोकड़ और बैंकों में अतिशेष और सामान्य निधियों के अधीन प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो; और

(घ) खण्ड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित धनराशि का ऐसा प्रतिशत जो नियत किया जाय।"

धारा 7 के स्थान नई धारा का रखा जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

न्यासधारी में संपत्ति का निहित किया जाना और परिसंपत्तियों पर ऋण-पत्रधारियों का प्रभार

"7—धारा 6 के अधीन ऋण-पत्र जारी होने पर, राज्य सरकार की प्रत्याभूति के अधीन फायदा और उक्त धारा की उपधारा (3) में निर्दिष्ट और मण्डल द्वारा धृत बन्धकग्रस्त संपत्तियां और अन्य परिसंपत्तियां न्यासधारी में निहित होंगी और ऋण-पत्रधारी राज्य सरकार की प्रत्याभूति के फायदे के हकदार होंगे और उनका ऐसे समस्त बन्धकों और परिसंपत्तियों और ऐसी प्रत्याभूति या बन्धकों के अधीन भुगतान की गई और राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासधारी के पास शेष धनराशियों पर चल प्रभार होगा।"

निरसन और अपवाद

6—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा तथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

No. 2517/XVII-V-1—69-1978

Dated Lucknow, September 18,1978

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, he Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Bhoomi Vikas Bank (Sanshodhan) Adhiniyam, 1798 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 1978) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 16, 1978 :

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE LAND DEVELOPMENT BANKS (AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. ACT NO. 27 of 1978]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks Act, 1964

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks (Amendment) Act, 1978.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 17, 1978.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 16 of 1964.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks Act, 1964, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*i*) in clause (*c*), *for* the words "on the mortgage of immovable property" the words "on the mortgage of or charge on immovable property, or against the unconditional guarantee of the State Government" shall be substituted, and shall be deemed always to have been *substituted*; and

(ii) in clause (*j*), *for* the words "the operation of other land development banks, if any included in its membership", the words "the operation of its members" shall be substituted, and be deemed always to have been *substituted*.

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2), *after* the words "as modified" the words "or substituted" shall be *inserted*.

Amendment of section 6.

4. In section 6 of the principal Act,—

(*i*) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(1) With the previous sanction of the State Government and the Trustee, and subject to such terms and conditions as the State Government may impose, the Board may, from time to time, issue debentures of one or more denominations, for such period or periods as it may deem expedient, against the unconditional guarantee by the State Government for repayment in full of the principal and payment of interest thereon or on the security of mortgages, charges or hypothecations partly held and partly to be acquired and the properties and other assets transferred or deemed to have been transferred under the provisions of section 12 by the land development banks to the State Land Development Bank and other properties of the State Land Development Bank;"

(ii) *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(3) The total amount due on debentures already issued by the Board under sub-section (1), together with the amount of any debentures proposed to be issued, shall not exceed the aggregate of—

(*a*) the amounts due on the mortgages or charges or hypothecations and the value of other assets transferred or deemed under section 12 to have been transferred by the land development banks to the State Land Development Bank and subsisting at such time;

(*b*) the accumulations in the Debenture Redemption Fund:

(*c*) the cash in hand and the balances with the banks and the book value or market value of securities under general funds, whichever is less; and

(*d*) such percentage of the amounts mentioned in clauses (*a*), (*b*) and (*c*), as may be prescribed."

Substitution of new section for section 7.

5. *For* section 7 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

Vesting of property in Trustee and Debenture-holders charge on the assets.

"7. Upon the issue of debentures under section 6, the benefit under the State Government guarantee and the mortgaged properties and other assets referred to in sub-section (3) of the said section and held by the Board, shall vest in the Trustee and the holders of the debentures shall be entitled to the benefit of the guarantee of the State Government and shall also have a floating charge on all such mortgages and assets and amounts paid under such guarantee or mortgages and remaining in the hands of the State Land Development Bank or of the Trustee."

Repeal and savings.

6. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks (Amendment) Ordinance, 1978, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if this Act were inforce at all material times.

By order,

R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 247 सा० (विधा०)—18-9-1978—(2144)—1978—650 (मेक०)।